निविदा फार्म सं0— —निविदा प्रपत्र मूल्य:- 1000.00 (एक हजार रू0)(समस्त कर सहित)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,खटीमा

निविदा फार्म (ऑचल मिल्क बूथ हेतु)

1—निविदादाता का नाम एवं पता ....

....

2— ऑचल मिल्क बूथ का नाम ....

3— आवेदक का पैन कार्ड नम्बर..

4— फर्म का नाम एवं पता..

5— कार्य अनुभव(कार्य वर्ष अवधि एवं कार्य विवरण)..

6— ऑचल मिल्क बूथ का मासिक किराया दर..

स्वहस्ताक्षरित फोटो

वैकल्पिक

7— निम्न मे से लागू वर्ग से सम्बन्धित हो तो आगे अंकित करते हुए उक्त से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें।

1) सैन्य/पुलिस कार्मिक की विधवा महिला।

2) दिव्यान्जन ।

3) सैन्य/पुलिस कार्मिक की विधवा महिला एवं उक्त न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले आवेदक के मध्य मिल्क बूथ संचालन हेतु अनुबन्ध की प्रति।

4) दिव्यान्जन को मिल्क बूथ किराये एवं उक्त न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले आवेदक के मध्य कैफे संचालन हेतुअनुबन्ध की प्रति।

5) राज्य आन्दोलनकारी ।

6) बेरोजगार युवा(35 वर्ष तक) ग्रेजुएट।

न्यूनतम अहर्ताएं—

1. आधार कार्ड की प्रति।
2. पैन कार्ड की प्रति ।
3. ऑचल मिल्क बूथ का न्यूनतम किराये से कम किरायाआवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. ऑचल मिल्क बूथ हेतु निविदाफार्म मे अंकित जमानत धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट।

न्यूनतम अहर्ताएं पश्चात निम्नवत वरीयता होगी—

1. सैन्य/पुलिस कार्मिक की विधवा महिला।
2. दिव्यान्जन ।
3. सैन्य/पुलिस कार्मिक की विधवा महिला एवं उक्त न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले आवेदक के मध्य मिल्क बूथ संचालन हेतु अनुबन्ध की प्रति।
4. दिव्यान्जन को मिल्क बूथ किराये एवं उक्त न्यूनतम अहर्ताएं रखने वाले आवेदक के मध्य मिल्क बूथ संचालनहेतु अनुबन्ध की प्रति।
5. राज्य आन्दोलनकारी ।
6. बेरोजगार युवा(35 वर्ष तक) ग्रेजुएट।

नियम एवं शर्त

1– एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बतायें **प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा** के पास सुरक्षित होगा।

2– निविदादाता द्वारा संस्था के आँचल मिल्क बूथ में आँचल **दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद** के अतिरिक्त आँचल के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो से निर्मित अन्य उत्पादों (जैसे–पनीर जलेबी, ब्रेड पकोड़ा, पनीर पकौड़ा इत्यादि) की बिक्री की जा सकेगी।

3– **विद्युत बिल** का भुगतान स्वयं निविदादाता को करना होगा।

4– **अधिकतम किराये** के आधार पर आँचल कैफे एवं मिल्क बूथ का आवंटन होगा।

5– संस्था द्वारा निर्मित **आँचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद** की बिक्री संस्था द्वारा निर्धारित दरों पर करनी होगी।

6– आँचल मिल्क बूथ में **आँचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद** एवं स्वीकृत उत्पादों के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अथवा मादक पदार्थ विक्रय नही किये जायेंगे, ना ही पार्लर में रखे जायेंगे, यदि मिल्क बूथ में **आँचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद** एवं स्वीकृत उत्पादों के अतिरिक्त अन्य पदार्थ पायें जाते है तो मिल्क बूथ का **अनुबन्ध** समाप्त कर दिया जायेगा।

7– अलग–अलग आँचल मिल्क बूथ के लिए अलग–अलग निविदा प्रपत्र भरना होगा एवं निविदा प्रपत्र के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी है।

8– निविदा स्वीकार होने पर संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। **अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष** होगी। यदि आँचल मिल्क बूथ संचालनकर्ता द्वारा लगातार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की बिक्री में वृद्धि की जाती है व कार्य संतोषजनक रहता है तो मिल्क पार्लर संचालनकर्ता की कार्य अवधि को अधिकतम् 05 (पाँच) वर्षो तक बढ़ायी जा सकती है।

9– संस्था के विपणन अनुभाग के पूर्व मिल्क पार्लर संचालनकर्ता/वर्तमान संचालनकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ संतोषजन कार्य एवं अदेयता प्रमाण–पत्र प्रभारी विपणन एवं सहायक प्रबन्धक (वित्त) से प्राप्त कर संलग्न करना होगा। अदेयता प्रमाण–पत्र संलग्न न होनेपर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

10– यह कि संस्था में कार्यरत् कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावल, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के ''परिवार का सदस्य'' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–
नियम संख्या 2(ग) :–

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है

या जिसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

1– निविदा, **प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** के नाम से निविदा पेटी के माध्यम से दिनाँक **23.03.2026** को निविदाएं अपराह्न **01.00** बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनाँक **23.03.2026** को अपराह्न **01.30** बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेंगी। डाक वितरण में विलम्बं से प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

क्र0 सं0	विवरण	स्थल	जमानत धनराशि	न्यूनतम किराया (प्रतिमॉह)
01	मिल्क बूथ	दुग्ध अवशीन केन्द्र रूद्रपुर	100000.00	10000.00
02	मिल्क बूथ	राजकीय चिकित्सालय रूद्रपुर	100000.00	10000.00
03	मिल्क बूथ	बडी मार्केट पन्तनगर	25000.00	10000.00
04	मिल्क बूथ	पुरानी तहसील खटीमा	25000.00	50000.00
05	मिल्क बूथ	तहसील गेट सितारगंज	25000.00	5000.00

नोट–उपरोक्तानुसार निविदा के नियम एवं शर्तो को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने केउपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अदेयता–प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि–भॉति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार निविदा स्वीकृत होने पर **ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूॅ।

उपयुक्त प्रविष्टियॉ मैने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भीसूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, तो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

पूरा नामः– ....

पता :– ....

. ...

मोबाईल नं–..